:: अल्पकालीन निविदा सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विधान सभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों की 01 जनवरी, 2014 की अर्हता तिथि के आधार पर सम्पादित होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्रों की छपायी एवं लेखन सामाग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 08 अक्टूवर, 2013 को अप्रान्ह 3.00 बजे तक निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिन सायं 4.00 बजे गठित समिति के द्वारा निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेंगी। कदाचित यदि कोई निविदादाता तत्समय उपस्थित नहीं रहता है तो कार्यहित में निविदायें निविदादाताओं की अनुपस्थिति में भी खोली जा सकेंगी। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते दिनांक 05 अक्टूवर, 2013 से दिनांक 08 अक्टूवर, 2013 को अप्रान्ह 01.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रू0–200.00+ 12.5 प्रतिशत वैट सहित भुगतान कर जिला निर्वाचन कार्यालय, चमोली से प्राप्त किये जा सकते हैं। नियत तिथि व समय के पश्चात् निविदा प्रपत्रों की विक्री नहीं की जायेगी। निविदा के साथ रू0–5000.00 (रू0–पांच हजार) मात्र धरोहर/जमानत की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक, एफ0डी0आर0 जो भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा गोपेश्वर पर देय हो तथा जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली के पदनाम से तैयार किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसी किसी भी निविदा को जिसके साथ धरोहर/जमानत राशि संलग्न नहीं होगी, स्वीकार नहीं किया जायेगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदादाता को आयकर/वाणिज्यकर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदा से सम्बन्धित शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त की जा सकेंगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा।

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।

**कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली।**

संख्या–174 /29–पु0– /2013–2014 दिनांक अक्टूवर,2013।

प्रतिलिपि–

1. जिला सूचना अधिकारी, चमोली को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अल्पकालीन निविदा को तत्काल जनपद में प्रचलित दो प्रदेश स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के उपरान्त सम्बन्धित विल सत्यापित कर भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित कर दें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चमोली को इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. जिला निर्वाचन कार्यालय/जिला कार्यालय के नोटिश बोर्ड पर चस्पा हेतु।

30/9/13

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।